

तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी

भवन निर्माण अग्रिम

विशेष परिवार लाभ निधि योजना

1 लघु शीर्ष एवं आवेदन :

- क) इस योजना को तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (घर निर्माण अग्रिम) विशेष परिवार लाभ निधि योजना कहा जाए।
- ख) यह योजना तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास बोर्ड के सभी कर्मचारियों को, जिन्होंने, पत्तन न्यास से घर निर्माण अग्रिम को पहले से ही लिया हुआ है या लिया है, को लागू होंगे।

2 आरंभ :

यह योजना बोर्ड के अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होगी।

3 परिभाषा :

इस योजना में, संदर्भ अन्यथा आवश्यक होती है :

- ए) **अधिनियम** का तात्पर्य महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 है।
- बी) **बोर्ड एवं अध्यक्ष** का तात्पर्य, अधिनियम के अधीन उनको समुनदेशित संबोधन होगा।
- सी) **कर्मचारी** का तात्पर्य, तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास में नियोजित अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें ऊपर के (1) (बी) के तहत योजनाएँ लागू होंगी।
- डी) **निधि** का तात्पर्य, घर निर्माण अग्रिम की ओर अनुन्मुक्त देयताओं को चुकाने के लिए तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (घर निर्माण अग्रिम) विशेष परिवार लाभ निधि है।
- ई) **वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी और विभागाध्यक्ष** का तात्पर्य, बोर्ड के वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष होगा।

4 योजना का उद्देश्य :

योजना का उद्देश्य , सेवाकाल के दौरा मृत हुए कर्मचारियों के मामले में, घर निर्माण अग्रिम और उसके ब्याज को शामिल करते हुए, की ओर की अनुन्मुक्त देयता को निधि से प्रतिपूर्ति करना है।

5 निधि का गठन :

- ए) एक निधि ऐसी, जो कि बोर्ड के कर्मचारियों, जिन्होंने बोर्ड द्वारा अंशदान सहित घर निर्माण अग्रिम को पहले से ही लिया हुआ है या लिया है, द्वारा मासिक अंशदान करते हुए गठित "तूत्तुकुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (घर निर्माण अग्रिम) विशेष परिवार निधि" होगी ।
- बी) एक लेखा जो कि तूत्तुकुडि में स्थित, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में, "तूत्तुकुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (घर निर्माण अग्रिम) विशेष परिवार निधि" खोला गया खाता होगा।

6 निधि को अंशदान :

- ए) हरेक कर्मचारी, जिसे यह योजना लागू होती है, को हर महीने रु 10/- (मात्र रुपया दस) का अप्रतिलभ्य अंशदान करना होगा और ऐसे अंशदान को अधिवार्षिता पर उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख या अन्यथा या घर निर्माण अग्रिम सहित उसपर के प्रोदभूत ब्याज को मिलाकर , जो भी पहले हो, की तारीख तक उनके द्वारा अदा किया जाना जारी होगा। भविष्य में शामिल होने वालों के लिए, अंशदान उसी महीने से तुरंत शुरू हो जाएगा, जिस महीने से प्लॉट खरीदने या निर्माण करने के लिए, घर निर्माण अग्रिम का पहला किश्त संवितरित किया गया है। अगर किसी महीने के दौरान, किसी कारण से अंशदान का प्रतिलभ्य न हो पाता है तो, ऐसे देयों को आगामी वेतन बिल या किसी अन्य चुकौती देयों से प्रतिलभ्य किया जाएगा।
- बी) बोर्ड द्वारा योजना के प्रावधानों द्वारा अन्तर्निहित कर्मचारियों की संख्या के आधार पर, हरेक वित्तीय वर्ष के आरंभ में ही रु 5/- (रुपया पाँच मात्र) प्रति माह प्रति कर्मचारी के रूप में अंशदान किया जाएगा, उस वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा की गई अत्यधिक या कमी अंशदान को, निधि के अगले अंशदान के दौरान पूरा किया जाएगा।

7 सेवा के दौरान मरने की स्थिति में भुगतान :

अगर कोई कर्मचारी सेवा करते समय मरता है तो, उनसे देय सभी रकम अर्थात् उनके मृत्यु की तारीख तक घर निर्माण अग्रिम की प्रतिपूर्ति की ओर किया गया मूलधन एवं ब्याज को, इस योजना के अंशदान से शुरू की गई एवं उनके मृत्यु के महीने तक जारी रही निधि से चुकाते हुए, पत्तन न्यास बोर्ड को प्रतिपूर्ति किया जाएगा।

8 निधि का प्रशासन :

- ए) अध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी और कल्याण निधि को संचालन करने वाले विभागाध्यक्ष से गठित समिति द्वारा इस निधि का प्रशासन किया जाएगा।
- बी) निधि को, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी या उनकी ओर से उनके द्वारा नामित प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा संचालित किया जाएगा।
- सी) निधि में उपलब्ध रकम का निवेश, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा, अध्यक्ष द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णयानुसार किया जाएगा।
- डी) निधि से भुगतान के लिए किए गए दावों को वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी एवं गठित समिति द्वारा प्रक्रमणित किया जाएगा।

9 लेखा और लेखा परीक्षा :

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी को, खातों की आवश्यकत किताबों का रखरखाव करने और निधि के प्रशासन में उनके नियंत्रणाधीन एक अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा करने हेतु व्यवस्था करना होगा।

10 व्याख्या :

निधि के प्रशासन में, योजना के किसी भी प्रावधान के व्याख्या को शामिल करते हुए, सभी मामलों में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।